International Research Journal of Commerce and Law
Volume 11 Issue 04, April 2023 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 6.893
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

अनुसूचित जातियों के मानवाधिकार

डॉ. प्रियंका सामंत
सहायक आचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय, अलवर (राज.)

प्रस्तावना :

मनुष्य दुनिया का सबसे विशिष्ट प्राणी है और यह विशिष्टता उसे किसी विधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि इसे जन्म के साथ ही लेकर पैदा होता है। मानवाधिकार का तात्पर्य मानव के ऐसे अधिकारों से है, जो प्रत्येक मानव को मानव होने के नाते जन्मतः मिले होते है। ये मानवाधिकार मनुष्य की प्रकृति में निहित है ना कि किसी रीति–रिवाज, परम्परा, रूढ़ि, कानून, राज्य संसद या किसी अन्य संस्था की देन है। इस प्रकार मानवाधिकारों के अन्तर्गत वे सभी अधिकार सम्मिलित किये जा सकते हैं, जो व्यक्ति को उसमें निहित मूल प्रवृत्तियों (मानव गरिमा, न्याय, निष्पक्षता एवं शोषण रहित सामाजिक न्याय) के पूर्ण विकास एवं संवर्धन के लिए आवश्यक है। किन्तु आदिकाल से भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखे तो भारतीय समाज जाति एवं वर्ण व्यवस्था के द्वंद से आज तक जूझ रहा है। भारतीय समाज जहाँ एक ओर बहु–भाषा बहु–धर्म, बहु–संस्कृति का सुन्दर सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है, दूसरी ओर जाति व्यवस्था इसका एक अति निन्दनीय चेहरा भी है। हमारे देश में कुछ ऐसी जातियां है, जो सदियों से अपने मानवाधिकारों से वंचित होती चली आ रही है, सामाजिक व्यवस्था में इनका जीवन–स्तर बहुत ही निचले पायदान पर रहा है। भारतीय संविधान इन्हें कमजोर, दुर्बल अथवा दलित वर्ग की संज्ञा देता है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कुछ पिछड़े समूह आते हैं। अनुसूचित जातियों के संरक्षण हेतु कुछ प्रावधान किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं :–

1. सामाजिक संरक्षण :

संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पश्यता का उन्मूलन किया गया है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार की मनाही है। **देवराजी बनाम पद्मन्नां**[1] के वाद में मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता शब्द एवं अनुच्छेद के उद्देश्य का स्पष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया कि इसका उददेश्य सामाजिक बुराई का निवारण करना है जो कि जाति प्रथा की देन है, न कि शाब्दिक अस्पृश्यता का, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में व्यक्तियों को कई कारणों से अस्पृश्य माना जा सकता है जैसे जन्म, रोग, मृत्यु या अन्य कारणों से उत्पन्न अस्पृश्यता। इसी प्रकार **पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ**[2] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरूद्ध ही नहीं वरन् प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध भी उपलब्ध है अतः यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों का अतिलंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को निषिद करता है। **पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ**[3] के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि बेगार से तात्पर्य ऐसे कामों या सेवाओं से है जिसे किसी व्यक्ति से बलपूर्वक बिना पारिश्रमिक दिये लिया जाता है अनुच्छेद 23 केवल बेगार को ही नहीं बल्कि इसी प्रकार के सभी बलपूर्वक लिये जाने वाले कार्य को भी वर्जित करता है, क्योंकि इससे मानव की गरिमा तथा प्रतिष्ठा को आघात पहुचता है। बन्धुआ मजदूरी बेगार का वृहद रूप है और अधिकतर बन्धुआ मजदूर अनुसूचित जातियों के हैं। बन्धुआ मजदूरी को समाप्त करने के भी प्रयत्न किए गए हैं। अनुच्छेद 23 में बालश्रम की मनाही है और बाल श्रमिक भी बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के ही है। अनुच्छेद 27 (2–बी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को मन्दिरों में जाने का अधिकार दिया गया है चाहे वह किसी भी मत का हो। अनुच्छद 15 (2क) दुकानों, रेस्तराओ, स्नानघरों, सड़कों, सार्वजनिक सुविधा के स्थानों आदि में जाने के लिए किसी भी प्रकार का नियोग्यता, प्रतिबन्ध अथवा दशा के निराकरण का प्रावधान किया गया है।

2. शैक्षिक संरक्षण :

अनुच्छेद 15 (4) के अधीन अनुसूचित जातियों की शैक्षिक प्रगति के विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। यह प्रावधान **मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोईराजन**[4] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात जोड़ा गया। ये प्रावधान शिक्षा संस्थाओं में सीटों के आरक्षण के रूप में है। **बाला जी बनाम मैसूर राज्य**[5] के वाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनु0 15(4) सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से पिछड़ेपन की कल्पना करता है न कि केवल सामाजिक या केवल आर्थिक। न्यायालय ने यह भी कहा कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. आर्थिक संरक्षण :

संविधान में राज्य को अनुसूचित जातियों के आर्थिक हितों की विशेष देखभाल को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा देने का प्रावधान भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 इस बात का आह्वान करता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।[6]।

4. राजनीतिक संरक्षण :

संविधान के अनुच्छेद 330, 332 तथा 334 में लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक आरक्षण की अवधि दस वर्ष के लिए रखी गई थी, परन्तु इस अवधि को बार बार बढ़ाया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243(घ) एवं अनु0 243(न) के द्वारा क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानों में आरक्षण किया गया है।

5. सेवा संरक्षण :

अनुच्छेद 16 (4) में उन पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिनका प्रतिनिधित्व उसमें अपर्याप्त है। यह ध्यान देने की बात है कि पिछड़ी जाति संविधान में अपनाया गया जातिगत शब्द है। इसमें अनुसूचित जातियाँ और जनजातियां भी शामिल है। 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा अनु0 16(क) अन्तःस्थापित किया गया तथा इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गो के लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति की दक्षता बनाए रखने, सरकारी सेवाओं और पदों में नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति के सदस्यों (अनुसूचित जनजाति पर भी लाग) के दावों को ध्यान में रखा जायेगा।[7]

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 :

संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध है। इस संवैधानिक व्यवस्था को लाग करने । के लिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को केन्द्रीय कानून बनाया गया। जिससे किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था की जा सके, बाद में इस अधिनियम में संशोधन करके इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की संज्ञा दी गई जिसके अन्तर्गत अस्पृश्यता बरतने को संज्ञेय और अजमानतीय अपराध बनाया जा सके। अधिनियम में राज्य सरकारों के लिए भी यह अत्यावश्यक कर दिया गया कि अस्पृश्यता उन्मूलन के उद्भूत होने वाले अधिकार हर व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाएं और सभी व्यक्ति उनका उपभोग करें।[8]

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति क्रूरता बरतने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों को अपर्याप्त महसूस करते हुए एक अतिरिक्त कानून बनाया गया जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (क्रूरता निवारक) अधिनियम 1989 कहा

जाता है। इस अधिनियम का उददेश्य इन जातियों और जनजातियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकना या उसके प्रति लोगों को निर्भय करना है। इस अधिनियम की धारा 3 उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के साथ निम्न कार्यो के लिए दण्डित होगा।

1. ऐसा कोई कार्य जो मानव सम्मान के विरूद्ध है जैसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करना या बलपूर्वक कपड़े उतारना और पब्लिक में घुमाना।
2. "बेगार" अथवा मजदूरी के लिए बाध्य करना या भूमि, भवन आदि से सदोष बेकब्जा करना।
3. महिला की लज्जा भंग एवं उसका यौन शोषण।
4. सामूहिक रूप से बलपूर्वक अपमानित या अभित्रस्त करना।
5. मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही इत्यादि।
6. मार्ग के रूढिजनक अधिकार से वंचित करना।

धारा 3 उपधारा (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध अपराध के लिए गंभीर दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 14 में विशेष न्यायालय और धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान है। धारा 18 में प्रावधानित किया गया है कि धारा – 438 में प्रावधानित अग्रिम जमानत का प्रावधान इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संदर्भ में लागू नहीं होगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग :

संविधान के 89वें संशोधन के परिणामस्वरूप पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के बंटवारे के उपरान्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन, अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत 19 फरवरी, 2004 से प्रवृत्त हुआ जो संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करेगा।

निष्कर्ष :

भारतीय संविधान में दिये गये विभिन्न उपबन्धों एवं अन्य संबंधित कानूनों में संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी यह एक कटु एवं दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है कि अनुसूचित जातियां एवं अन्य कमजोर वर्ग आज भी सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक शोषण के शिकार हैं तथा समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं है। हमें जाति, धर्म एवं वर्ण की संकीर्ण मानसिकता से निकलकर देश के विकास के बारे में सोचना होगा, तभी ऐसे समाज का निर्माण सम्भव होगा, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन जीने के अधिकार को पूर्ण गरिमा एवं सम्मान से जी सकेगा और सही मायने में ''वसुधैव कुटुम्बकम" होगा।

सन्दर्भ :

1. ए.आई.आर 1958, मैसूर 84
2. ए.आई.आर. 1982, एस.सी. 1473
3. ए.आई.आर. 1982, एस.सी. 1473
4. ए.आई.आर. 1952, एस.सी. 226
5. ए.आई.आर. 1963, एस.सी. 649
6. जे.एन. पाण्डेय, भारत का संविधान, 2005, पृ.351
7. वही, पृ. 351
8. सुखदेव थोराट, दलित इन इण्डिया : सर्च फॉर ए कॉमेन डेसिटनी, सेज पब्लिकेशन इण्डिया, नई दिल्ली, 2001 पृ. 169